प्रकरण संख्या 18/2019 2019 00118 ता0रजू 16.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

रमेशचंद पुत्र मूल्याराम जाति मीना निवासी ग्राम बालोती आयु 42 साल तहसील सपोटरा जिला करौली राज.

– अपीलाण्ट

बनाम

राज. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली निर्णय दिनांक 24.04.2019 प्रकरण संख्या 229/2019 उनवानी सरकार बनाम रमेशचंद

निर्णय

दिनांक 11.09..2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 29.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने निरीक्षण दुकान बंद पाया जाना, पोश मशीन में दर्ज 5.74 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा मौके पर 8.00 क्विं. गेंहूं पाया जाना, दिनांक 01.10.2016 से 20.01.2019 तक की अवधि में आमद 12750 लीटर केरोसीन एवं 13393 लीटर केरोसीन वितरण अर्थात् 643 लीटर अधिक वितरण आदि नियमितताएं पाये जाने पर आदेश दिनांक 24.04.2019 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2019 गलत दिया गया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। निरीक्षण में पोस मशीन में दर्ज 5.74 क्विं. गेहूं की अपेक्षा 8.00 क्विं. गेंहूं अर्थात् 2.26 क्विं. गेहूं व केरोसीन की आमद 12750 लीटर की अपेक्षा 13393 लीटर का वितरण अर्थात् 643 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण जांच रिपोर्ट में बताया है। उक्त सारी जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा गलत की गयी है। किसी प्रकार का कोई भी केरोसीन व गेंहू की कालाबाजारी अपीलाण्ट ने नहीं की है जो अधिक गेंहू बतलाये गये है वह राशन उपभोक्ता रखे थे जो कुछ काम से चले गये और बाद में ले जाने की कह गए। जिन उपभोक्ताओं के गेंहू थे उन्होने अपने शपथपत्र जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश किए है उन गेंहूओ से अपीलाण्ट का किसी प्रकार का संबंध व ताल्लुक नही है। ये गेंहू उचित मूल्य दुकान के अंदर नही रखे थे, पास के मकान में रखे हुये थे जिनको प्रवर्तन निरीक्षक ने जब्त किया है वह बिल्कुल गलत जप्त किया है। अपीलाण्ट का उक्त गेंहूओ से कोई संबंध व ताल्लुक नही है ना रहा है। अदालत मातहत ने उक्त पत्रावली का पूरी तरह से स्वतंत्र माइण्ड से अवलोकन नही किया है और जल्दबाजी में अपने मनमाने तरीके से उक्त निर्णय दिया है जो काबिले निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट डीलर की हमेशा दुकान नियमानुसार खुली रहती है कोई दुकान बन्द नही थी। सारे आरोप गलत प्रवर्तन निरीक्षक ने लगाए है। अपीलाण्ट ने कोई भी 643 लीटर केरोसीन का पोश मशीन से अधिक वितरण नही किया है नाही कोई कम मात्रा दी है। उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य सामग्री दी गयी है उसका पोश मशीन पर अंगूठा लगवाया गया है अपीलाण्ट ने

जिला कलक्टर
करौली

किसी प्रकार का दुरूपयोग गेंहू का व खाद्य सामग्री का नही किया है नाही गलत तरीके से कोई फर्जी वितरण किया है नाही अपीलाण्ट ने राज0 खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है। अदालत मातहत ने अपने मनमाने ढंग से तथा राजनैतिक दबाव में यह फैसला दिया है तथा अपीलाण्ट की अमानत राशि 1000 रूपया गलत तरीके से जब्त की है और अपीलाण्ट राशन डीलर ग्राम पंचायत बालोती 1/2 का प्राधिकार पत्र गलत तरीके से निरस्त किया है और गलत निर्णय दिया है। अपीलाण्ट के सारे स्टाक रजि0 बगैरहा सब कम्पलीट है। अपीलाण्ट निर्दोष है। अदालत मातहत ने निर्णय में सारे तथ्य गलत दर्ज किए है जो खारिज किए जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 29.01.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली एवं प्रार्थी द्वारा श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती तहसील सपोटरा की राशन दुकान की जाँच की गयी। दुकान बंद पायी गई थी जिसे दुकानदार को बुलाकर खुलवाया गया। उचित मूल्य दुकान का 01.09.2016 से निरीक्षण दिनांक 29.01.2019 तक श्री अप्रार्थी को मय प्रारम्भिक स्टॉक कुल 112.34 क्वि. गेहूँ की आमद हुई जिसमें से अप्रार्थी द्वारा 106.60 क्वि. गेहूँ का वितरण किया गया तथा भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान पर 8 क्वि. गेहूँ पाया गया अर्थात् डीलर के स्टॉक में 2.26 क्वि. गेहूँ अधिक पाया गया। अपीलार्थी की दुकान पर कुल 16 कट्टे (50 किलो भरती के) ही पाये गये थे जिनमें 8 क्विं. गेंहूं भरा हुआ था। अपीलार्थी द्वारा उनमें से 1 क्विं. गेंहूं हनुमानजी के मंदिर के होना बताया था जिन्हें गेंहूं का वितरण नहीं किया जाता है एवं दूसरी जगह से आने वाले गेंहूं को राशन दुकान में रखने के लिए दुकानदार को अनुमति नहीं है। इसके अलावा किसी अन्य उपभोक्ता का गेंहूं होना अप्रार्थी द्वारा नहीं बताया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी डीलर को दिनांक 01.10.2016 से 20.01.2019 की अवधि में प्रारंभिक स्टॉक सहित कुल 12750 लीटर केरोसीन की आमद हुई जबकि अपीलार्थी डीलर द्वारा 13393 लीटर केरोसीन का वितरण अर्थात् 643 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण किया गया है। अतः श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती द्वारा अवैध तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की कालाबाजारी करना प्रतीत होता है। इस प्रकार श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेहूँ 2.26 क्वि. का अवैध रूप से विक्रय करना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पी.डी.एस. कंट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 29.01.2019 को वक्त जांच भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी की दुकान पर 16 कट्टों में 8 क्विं. गेंहूं एवं केरोसीन 00(शून्य) लीटर पाया गया है। दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक प्रारंभिक स्टॉक सहित अपीलार्थी की दुकान पर 12750 लीटर केरोसीन की आमद हुई जबकि उक्त अवधि में अपीलार्थी द्वारा 13393 लीटर केरोसीन का वितरण अर्थात् 643 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण किया गया है जो एक गंभीर अनियमितता है। इसी प्रकार दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक प्रारंभिक स्टॉक एवं आमद सहित कुल 112.34 क्विं. गेंहूं में से 106.60 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत अप्रार्थी की दुकान पर 5.74 क्विं. होना चाहिये था। अप्रार्थी द्वारा अधिक बताये गये गेंहूं को पास के मकान में रखा हुआ होना एवं उपभोक्ताओं का होना बताया है जबकि मौका पर्चा में 1 क्विं. गेंहूं हनुमानजी के मंदिर

जिला कलक्टर
करौली

का होना बताया गया है एवं 8.00 क्विं. गेंहूं को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान में ही रखा होना बताया है जिस पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अधिक गेंहूं को पास के मकान में रखा होना अथवा उपभोक्ताओं का होना आदि तथ्य गलत विदित होते हैं। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं के शपथ–पत्र की छायाप्रति ही पेश की गई है जिनमें अधिकांश की एक जैसी इबारत है। किसी भी शपथकर्ता उपभोक्ता द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर बयान नहीं दिये गये हैं जिससे पेश शपथ–पत्रों की प्रमाणिकता सिद्ध होती हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 24.04.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली